Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	49aeaa391a5bb4bcfed3
Receipt Date :	08-Dec-2020 01:26:30 pm
Receipt Amount :	100/-
Amount In Words :	One Hundred Rupees Only
Document Type :	Agreement or Memorandum of an Agreement
District Name :	Bokaro
Stamp Duty Paid By :	Sanjeev Kumar
Purpose of stamp duty paid :	partnership
First Party Name :	Shankrant Kumar
Second Party Name :	Sanjeev Kumar
GRN Number :	2003107022

Shankrant Kumar

Sanjeev Kumar

NOTARY PUBLIC

This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number

B.D.B.A. No. 26/21
SL. No. 1943
Dt. 9/12/20

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिंट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

NOTARY PUBLIC

Scanned with CamScanner

साझेदारी विलेख (Deed of Partnership)

यह साझेदारी विलेख आज दिनांक 09.12.2020 को निम्नलिखित पक्षों के मध्य बनाया जा रहा है जिसमें :-

1. संक्रात कुमार, पिता–स्व0 दिलिप प्रसाद वर्णवाल, पता–सदर बाजार, मेन रोड, चास, पो0 व थाना – चास, जिला–बोकारो , झारखण्ड । आधार सं0–6914 7319 7200 एवं पेन नं0– BYUPK9479G ।

.....प्रथम साझेदार

Sanjeev Kumar

2. संजीव कुमार, पिता–श्रवण साव, पता–यदुवंश नगर, चास , पो0 व थाना–चास, जिला–बोकारो, झारखण्ड । आधार संख्या– 8021 1083 6666 एवं पेन नं0 – ALMPK3108J

.....द्वितीय साझेदार

यह कि दोनो साझेदारों ने मिलकर आपस में मेसर्स सगुन इनक्लेव (M/s Sagun Enclave) नामक फर्म जिसका GST No. 20AEHFS8381P1ZE Udyog, Aadhar No. UDYAM-JH-01-0007555 है, में कार्य करने हेतु निम्न शर्तो पर यह साझेदारी विलेख बना रहें है ।

Shambhu Kumar

1. यह कि, उक्त फर्म का प्रधान कार्यालय तेलीडीह रोड, चास, थाना–चास, जिला–बोकारो है । कार्यालय को दोनो पक्षों की सहमति से कभी भी कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा ।
2. यह कि , प्रथम साझेदार इस साझेदारी फर्म के लागत में लगने वाला सारा पूँजी लगाएगा तथा दोनो साझेदार उक्त फर्म का देख–भाल , संचालन, प्रबंधन आदि करेंगे ।

NOTARY PUBLIC Govt. of Jharkhand (India)

Scanned with CamScanner

3. यह कि, मौजा बांधगोड़ा , थाना संख्या– 35 के अन्तर्गत खाता संख्या –19, प्लॉट संख्या–1063 , 1064 में से कुल रकबा – 110 x 220 = 24200 वर्ग फीट डिसमिल जमीन, जो खतियान से प्राप्त सम्पत्ति है ।

4. यह कि, उक्त साझेदारी के व्यवसाय में होने वाली लाभ अथवा हानि को दोनो पक्षों में निम्न प्रकार से बंटावारा किया जायेगा ।

प्रथम साझेदार --	50%
द्वितीय साझेदार–	50%

5. यह कि, इस साझेदारी अनुबंध के अधीन फर्म के साख (Goodwill) पर दोनो साझेदार का समान अधिकार होगा ।

6. यह कि, फर्म के प्रत्येक सदस्य अपनी पूरी निष्ठा से फर्म के हित में कार्य करेंगे जिससे कि फर्म को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके ।

7. यह कि, प्रत्येक साझेदार उक्त फर्म में राजी–खुशी से बिना किसी दबाव के सम्मिलित हुए है ।

8. यह कि, फर्म के कोई भी सदस्य बिंना अन्य साझेदारों की सहमति वगैर फर्म को बिक्री, उसका हिस्सा की बिक्री या बिक्री का अनुबंध, हस्तांतरण , गिरवी या बंधक नहीं करेगा और दोनो साझेदार अपने हिस्से के आवेदार होंगे न कि किसी अन्य के भाग / हिस्से का ।

9. यह कि, दोनो साझेदार का यह दायित्व होगा कि फर्म की बही खाते, भाउचर, प्रतिभूति आदि सही एवं सुरक्षित रखे एवं किसी साझेदार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाएं और उसकी छाया प्रति दें । जो दोनों साझेदारों का समान अधिकार है ।

10. यह कि, दोनो पक्षकार इस बात पर भी सहमत हुये कि फर्म का अंकेक्षण (Audit) प्रत्येक तीन महिनें में कराया जायेगा ।

Sanjeev Kumar

Sharkant Kumar

NOTARY PUBLIC * Govt. of Jharkhand (India) *

Scanned with CamScanner

11. यह कि, यदि दोनों साझेदारों के बीच किसी तरह का विवाद आने पर दोनो पक्ष आपसी सहमति से इसका निपटारा करेंगे तथा आपस में निपटारा न होने पर एक मध्यस्थ की बहाली कर विवाद का निपटारा करेंगे ।

12. यह कि, फर्म के किसी साझेदार की मृत्यु या पागल होने या फर्म से रिटायर्ड होने पर उसके उत्तराधिकार, वंशज, उसके वैध साझेदार माने जाएंगे और उनपर भी इस अनुबंध के सभी शर्त समान रूप से लागू होंगे ।

13. यह कि, यदि कोई व्यक्ति या फर्म के साझेदार के रिश्तेदार इस फर्म के सदस्य के रूप में प्रवेश करना चाहे तो इस अनुबंध के सारे शर्तो को स्वीकार करते हुए फर्म के सभी सदस्यों की रजामंदी से फर्म का सदस्यता ग्रहण कर सकता है ।

14. यह कि , इस अनुबंध के किसी शर्त में कुछ फेर–बदल उभय सदस्यों की रजामंदी से किया जा सकता है ।

15. यह कि, भविष्य में इस अनुबंध के किसी शर्तो को लेकर दोनो सदस्यों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे आपसी सहमति से या Arbitration अधिनियम 1996 के अन्तर्गत सुलझाया जायेगा और यदि उसके बावजूद भी मामला नहीं सुलझा तो फर्म का सदस्य न्यायालय का सहारा ले सकते है ।

Sanjeev Kumar

Shankar Kumar

NOTARY PUBLIC
Govt of Jharkhand (India)

B.D.B.A No. 26121
SL. No. 1943
Date 9/12/2020

उपरोक्त साझेदारी विलेख को उभय पक्षकारों ने पढ़कर व पढ़वाकर अच्छी तरह समझ-बूझ लिया तथा संतुष्ट होकर गवाहों की उपस्थिति में अपने-अपने स्वस्थ मन, शरीर, मस्तिष्क के साथ बिना किसी जोर-दबाव एवं प्रलोभन के अपना-अपना हस्ताक्षर आज दिनांक -09.12.2020 को बना दिए जो समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहें ।

Shashikant Kumar
प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

गवाहों का हस्ताक्षर

1. Surendra Prasad

2. प्रमोद कुमार

3.

Sanjeev. Kumar 06/12/20
द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

ON DULY IDENTIFIED BY THE
ADVOCATE SRI/SMT./KUMARI Mritunjay mallick
ATTESTED THE SIGNATURE
THUMB IMPRESSION

NOTARY PUBLIC
S. D. K. Mahto
Bokaro (Jharkhand)
Regd No.-703/16
Govt. of Jharkhand (India)

09/12/2020
S. D. K. Mahto
NOTARY PUBLIC
Bokaro (Jharkhand)
Reg No.-703/16.J

Adv.